सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/76 दायर दिनांक 18.05.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. जवानाराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मूलसिंह पुत्र उगमसिंह 2. बदनसिंह पुत्र उगमसिंह 3. जमनसिंह पुत्र उगमसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र उगमसिंह 5. मोहनकंवर पत्नी उगमसिंह 6. राजूकंवर पुत्री उगमसिंह 7. गोविन्द कंवर पुत्री उगमसिंह जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 8. बलदेवाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी लखीपुरा 9. कानाराम पुत्र रूपाराम जाट निवासी लखीढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 10. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री दुरजाराम पूनिया अधिवक्ता सं0 08 व 09

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.07.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम रसीदपुरा के खसरा सं0 338 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है, जिसमें से 1/2 भाग अर्थात 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि वादी के हक हिस्से, स्वामित्व व कब्जा काश्त की है। नजरी नक्शा दावा का अभिन्न अंग है।

इस खसरा की भूमि के खातेदारान के बीच आपसी सहमति से वर्षो पूर्व बंटवारा हो चुका था उसी बंट के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 अपने अपने हिस्सा पर काबिज चल आ रहे है तथा उसी अनुरूप पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी भी उसी बंट के मुताबिक सलंग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी सी डी की 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर काबिज है इसी अनुरूप वादी का कब्जा काश्त है। उक्त खसरा की भूमि के खातेदारान के बीच बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं होने से काश्त के समय अन्य

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/76
दायर दिनांक 18.08.2016, निर्णय दिनांक 26.07.2017
जवानाराम बनाम मूलसिंह, वगैरा।

खातेदारों के बीच सीमाओं को लेकर तनाजा रहने लगा है। जिससे वादी को यह दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। उपरोक्त वर्णित खसरा सं0 338 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद रसीदपुरा के 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है।

प्रार्थना वादी है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावें कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 338 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद रसीदपुरा का पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर इस खसरा नम्बरान के 1/2 भाग की 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शाया है को वादी के बंट व खातेदारी की घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 व 10 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 08 व 09 की तरफ से वकील श्री दुरजाराम पूनिया ने वकालतनामा पेश किया।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया तथा बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारित रही तथा वकील प्रतिवादी ने भी वाद के अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति दी।

उक्त वाद को डिक्री किये जाने पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नहीं की है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद रसीदपुरा के खसरा सं0 338 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 13 बीघा 18 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर वादी को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/76 — दायर दिनांक 18.05.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. जवानाराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मूलसिंह पुत्र उगमसिंह 2. बदनसिंह पुत्र उगमसिंह 3. जमनसिंह पुत्र उगमसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र उगमसिंह 5. मोहनकंवर पत्नी उगमसिंह 6. राजूकंवर पुत्री उगमसिंह 7. गोविन्द कंवर पुत्री उगमसिंह जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 8. बलदेवाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी लखीपुरा 9. कानाराम पुत्र रूपाराम जाट निवासी लखीढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 10. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 26.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थौरी, अधिवक्ता, वादी व श्री दुरजाराम पूनिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 08 व 09 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद रसीदपुरा के खसरा सं0 338 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 13 बीघा 18 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर वादी को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.07.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना नागौर)

Scanned by CamScanner